तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 22/2023 बअनवान रतनाराम वगैरा बनाम रेखीदेवी वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 11.12.2024

उपस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से ब्रीफ हॉल्डर अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। 09 साल बाद बिना अनुमति पुनः दावा पेश किया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में चलने योग्य ही नहीं है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे का त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वकार फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

DNJ 2014(1) Page 35
CCC 2014(3) Page 100
CCC 2004(1) Page 417
DNJ 2024(1) Page 338

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

CCC 2015(4) Page 815

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। दस्तावेजात सही है या नहीं यह दावे में तय होगे। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कही भी स्पष्ट नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे। उतरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2009(2) Page 1040

RRT 2010(1) Page 95

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। प्रथम दृष्टया अपीलांटस/वादी पैतृक भूमि बताते हुए दावा लाई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है जो आगामी तारीख पेशी तक के लिये है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से अपीलांटस किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कही भी स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम की धारा 225 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधिकतम दो माह में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत पेश आवेदन का निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर